

उत्तर प्रदेश सरकार  
वित्त (सामान्य) अनुभाग - ।  
संख्या जी- । - 354/दस-534/(46)/76  
दिनांक : लखनऊ 22 मई, 1982

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में सरकारी सेवकों को वाहूय सेवा पर प्रतिनियुक्ति ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग - । के कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी- । - 8638/दस-534(46)/76, दिनांक 17 मई, 1979 में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की वाहूय सेवा के सम्बन्ध में सामान्य शर्तों निर्धारित की गई थी । कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी- । - 3095/दस-534(38)/22, दिनांक 13 मई, 1980 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों, जिनके वेतन/भत्तों के आहरण के लिये महालेखाकार के प्रधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है, के सम्बन्ध में वाहूय सेवा की अवधि में पैन्शनरी तथा अवकाश वेतन अंशदान की वसूली की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी- । - 845/दस-534(46)/76, दिनांक । अप्रैल, 1982 में नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान भत्ता सम्बन्धी मानक शर्तों संख्या-4 में संशोधन किया गया था । अधोहस्ताक्षरी को अब यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्दशों के वाहूय सेवा की मानक शर्तों में सम्मिलित करने तथा अन्य विसंगतियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मई, 1979 के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि उसके प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित उपक्रमों आदि में वाहूय सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को अपने पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान में समय-समय पर प्राप्त होने वाला वेतन तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त होगा । प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि इसकी अधिकतम सीमा किसी भी समय 250 रु0 प्रतिमाह से अधिक न होगी और अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय और किसी भी दशा में रु0 2,450 प्रतिमाह से अधिक दिनांक । जुलाई, 1979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में न होगा । किन्तु दिनांक । जुलाई, 1979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में रु0 2,700 प्रति माह से अधिक न होगा ।

इस सम्बन्ध में यह भी आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रकार के संस्थानों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी यथा, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में जहां सरकारी सेवक वाहूय सेवा पर स्थानान्तरित किये गये हों अथवा किये जायें, उपर्युक्त प्रतिबन्ध समान रूप से लागू किया जायेगा । अतएव यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी सरकारी सेवक को उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13 मई, 1979 के उप प्रस्तर 3 (4) के प्राविधान के अधीन दिनांक । सितम्बर, 1978 के वाहूय सेवा पर 250 रु0 प्रतिमाह से अधिक दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त नहीं होगा तथा उसके मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की धनराशि का कुल योग दिनांक । जुलाई, 1979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में 2,450 रु0 से अधिक किसी भी दशा में न होगा । किन्तु दिनांक । जुलाई 1979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में 2700 रु0 प्रति माह से अधिक न होगा ।

2- उक्त दिनांक 17 मई, 1979 के कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर (6) की छठी पंक्ति में शब्द 'ज' तथा मुख्यालय के मध्य में आने वाली शब्दावली 'उपक्रमों के' निकाल दिया जाय ।

अधोहस्ताक्षरी को यह भी निवेदन करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 मई, 1979 के कार्यालय-ज्ञाप से संलग्न वाहूय सेवा की मानक शर्तों को इस कार्यालय-ज्ञाप के अनुलग्नक में उल्लिखित मानक शर्तों से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

जगमोहन लाल बजाज,  
वित्त सचिव।

सेवा में,

सचिवालय के सभी अनुभाग।

संख्या जी- । - 354(1)/दस- 534(46)/76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
- 2- विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय।
- 3- राज्यपाल सचिवालय।
- 4- शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव।
- 5- महालेखाकार I, II एवं III, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ।

आज्ञा से,  
एस० डी० वर्मा  
उप सचिव।

## अनुलूपनक

भारत के भीतर वाह्य सेवा पर किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण की मानक शर्त :-

1- वाह्य सेवा की अवधि- प्रारम्भ में श्री ----- का वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण ----- वर्ष की अवधि के लिये होगा जो पैतृक विभाग में उनके कार्यभार से कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगी ।

2- वेतन-वाह्य सेवा की अवधि में श्री ----- को अपने पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्त भत्ता इस शर्त के अधीन देय होगा कि उसकी अधिकतम सीमा 250 रु0 प्रतिमाह से अधिक न होगी । साथ ही यह प्रतिबन्ध भी होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्त भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में दिनांक । जुलाई 1979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में 2,450 रु0 प्रतिमाह से अधिक न होगा । किन्तु दिनांक । जुलाई 1979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में रु0 2,700 रु0 प्रतिमाह से अधिक न होगा ।

3- महंगाई भत्ता- श्री ----- के महंगाई भत्ता राज्य सरकार की दरों पर अनुमन्य होगा और इसकी गणना उनके वाह्य सेवा वेतन अर्थात् पैतृक विभाग का मूल वेतन तथा उस पर 20 प्रतिशत वृद्धि मिलाकर की जायेगी ।

4- नवर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता- इन भत्तों का विनियमन वाह्य सेवायोजक के नियमों के अधीन किया जायेगा परन्तु-

(क) वाह्य सेवा पर कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जो सरकारी आवासों का उपभोग कर रहे हैं उनसे उक्त सरकारी आवास के किराये के रूप में उनके मासिक वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि कम्ती जायेगी । इसके अतिरिक्त वाह्य सेवायोजक भी सम्बन्धित सरकारी सेवक के मासिक वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर धनराशि सरकारी सेवक द्वारा अद्यासित सरकारी मकान के किराये के रूप में प्रतिमाह ----- (विभागाध्यक्ष) (विभाग का नाम) के नाम भेजेगा, जिसे सम्बन्धित विभाग सरकारी खजाने में जमा कर देगा । वाह्य सेवायोजक द्वारा ऐसे सरकारी सेवकों को किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता देय न होगा । इस प्रकार शासन को दोनों स्रोतों से मिलाकर सरकारी सेवक के वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि सरकारी आवास के किराये के रूप में प्राप्त होगी ।

(ख) वाह्य सेवायोजक द्वारा किसी भी सरकारी सेवक को बिना किराये के मकान की सुविधा नहीं दी जायेगी । यदि किन्हीं कारणों से वाह्य सेवायोजक किसी सरकारी कर्मचारी को उक्त सुविधा देना चाहते हैं तो वे अपने प्रस्ताव को शासन को भेजेंगे जिस पर वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा ।

5- कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन- कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन, यदि कोई हो, का विनियमन, वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण और उससे प्रत्यावर्तन, दोनों ही के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन किया जायेगा और इसका भुगतान वाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा ।

6- यात्रा भत्ता- श्री ----- द्वारा वाह्य सेवा की अवधि में एवं वाह्य सेवायोजक के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गई यात्राओं के लिये यात्रा भत्ते का विनियमन उनके विकल्प के अनुसार या तो उनके मूल विभाग अथवा वाह्य सेवायोजक के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान वाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा ।

7- अवकाश और पेंशन- वाह्य सेवा की अवधि में श्री ----- राज्य सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे । वाह्य सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलांगता के सम्बन्ध में वाह्य

सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिये देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलॉगता का पता वाहूय सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

#### 8-अवकाश वेतन और पेंशन संबंधी अंशदान-

(क) ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में जिनके वेतन तथा भत्तों के आहरण तथा भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता होती है :-

अवकाश वेतन और पेंशन के लिये अंशदानों का भुगतान सरकारी सेवक द्वारा या वाहूय सेवायोजक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वित्तीय नियमावली, खण्ड 2, भाग-2 के मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल्स) ।।5 एवं ।।6 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। सहायक नियम ।।85 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होगा वार्षिक होगा। यदि वाहूय सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाहूय सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। जैसा कि कार्यालय-ज्ञाप वित्त (सामान्य) अनुभाग-। सं0 जी-।-3095/दस-534(38)-22, दिनांक ।।3 मई, ।980 के संलग्नक-2 में निर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों में जमा किया जायेगा। यदि इन अंशदानों का भुगतान विलम्बतः ।।5 अप्रैल तक नहीं किया जाता है तो सरकारी सेवक या वाहूय सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो, को पूर्वाक्त सहायक नियम ।।85 में निर्धारित दर से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना पड़ेगा। भले ही महालेखाकार उत्तर प्रदेश ने उन अंशदानों के लिये कोई दावा पेश न किया हो, अतः यह सरकारी सेवक अथवा वाहूय सेवायोजक, जैसी भी स्थिति हो, के हित में ही होगा कि वह इन आदेशों के मिलते ही महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे इन अंशदानों की दरों और उनके भुगतान की विधि के बारे में पूछ लें।

यह अंशदान यथास्थिति सरकारी सेवक अथवा वाहूय सेवायोजक द्वारा महालेखाकार को बैंक ड्राफ्ट या बैंक द्वारा भेजे जाने चाहिये जो कि हर हालत में क्रास कर दिये जाने चाहिये।

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिनके वेतन तथा भत्तों आदि के आहरण तथा भुगतान के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है :-

प्रश्नगत वाहूय सेवा की अवधि में श्री ----- के सम्बन्ध में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वित्तीय नियमावली, खण्ड 2, भाग-2 से 4 के मूल नियम ।।5 व ।।6 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। सहायक नियम ।।85 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि वाहूय सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाहूय सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। इस समय प्रचलित दरों के अनुसार श्री ----- के सम्बन्ध में अवकाश वेतन एवं पेंशनरी अंशदान अनुलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार देय हैं। उक्त अंशदान की वसूली व लेखे जोखे के रख-रखाव के लिये श्री ----- (नाम निर्दिष्ट विभागीय अधिकारी का नाम तथा पदनाम) उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों से जमा होगा। जैसा कि कार्यालय-ज्ञाप वित्त (सामान्य) अनुभाग-संख्या जी-।-3095/दस-536(38)/22, दिनांक ।।3 मई, ।980 के संलग्नक-2 में निर्दिष्ट किया गया है। वाहूय सेवायोजक अथवा सरकारी सेवक, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त अंशदान प्रत्येक वर्ष विलम्बतः ।।5 अप्रैल तक नाम निर्दिष्ट अधिकारी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक द्वारा भेज देना चाहिये जो कि हर हाल में क्रास कर देना चाहिये अन्यथा वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के सहायक नियम ।।85 में निर्धारित दरों से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना होगा। अतः यह सरकारी सेवक अथवा वाहूय सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो, के हित में होगा कि इन आदेशों के मिलते ही उक्त अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके इन अंशदानों की (दरों और उनकी भुगतान) की विधि के बारे में पूछ लें।

9- भविष्य निधि वाहूय सेवायोजक को श्री ----- के वेतन से भविष्य निधि का अभिदान काट लेना चाहिये और उसके भविष्य निधि लेखे में जमा कर देना चाहिये।

अपनी वाह्य सेवा की अवधि में श्री \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों द्वारा नियन्त्रित होते रहेंगे।

10- चैकित्सिक सुविधायें :- वाह्य सेवा में रहते हुये श्री \_\_\_\_\_ के चैकित्सिक उपचार के सम्बन्ध में वे विशेष सुविधायें प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्नतर न होगी। किन्तु किसी भी सरकारी सेवक को वाह्य सेवायोजक द्वारा चैकित्सिक भत्ता देय न होगा।

11- असाधारण पेंशन- श्री \_\_\_\_\_ अथवा उसके परिवार द्वारा वाह्य सेवा में रहते हुये उनकी विकलांगता अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में किया गया कोई दावा उत्तर प्रदेश सिविल सेवायें (असाधारण पेंशन) नियमावली यू० पी० सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्बनरी पेंशन रूल्स) के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय ( award ) के पूरे मूल्य का दायित्व वाह्य सेवायोजक का ही होगा।

12- अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्ता- वाह्य सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर श्री \_\_\_\_\_ द्वारा लिया गया अवकाश अवधि से सम्बन्धित अवकाश वेतन सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय वाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा। परन्तु वाह्य सेवा पर रहते हुये मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर देय प्रतिकर भत्तों का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।

13- सामूहिक बीमा योजना- इस योजना के अधीन श्री \_\_\_\_\_ वाह्य सेवा की अवधि में अपना अंशदान निरन्तर करते रहेंगे।

14- अन्य वित्तीय सुविधायें- यदि श्री \_\_\_\_\_ को वाह्य सेवायोजक द्वारा उक्त शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो तो यह शासन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञय न होगी।